

कार्यालय :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर (राज.)

क्रमांक/स्था./LADCS STAFF/2024/3210

दिनांक:- 02/08/24

--: विज्ञापित :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के अधीनस्थ कार्यालय पूर्णकालिक लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, सीकर हेतु पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों के लिए अनुबंध आधार पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करने हेतु विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/ पारिश्रमिक(रुपये)
1	ऑफिस असिस्टेंट	03	19,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	16,000/-
3	ऑफिस पियोन	03	11,000/-
कुल योग		07	-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की पालना की जावेगी। आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित कार्यालय को दिनांक 09.08.2024 को कार्यालय समय में 04:30 पी.एम. तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

सीकर

दिनांक:- 02/08/24

क्रमांक:- 3222

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर
4. तालुका विधिक सेवा समिति नीम का थाना/श्रीमाधोपुर/रींगस/लक्ष्मणगढ/दांतरामगढ/फतेहपुर
5. जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. जिला नियोजन अधिकारी, सीकर
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

सीकर

कार्यालय :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर (राज.)

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सविदा पद पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में आवेदन का प्रारूप

आवेदन - पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. सेवा का नाम, जिससे संबंधित हैं
4. जन्म तिथि दिनांक 28.02.2025 को
5. मूल विभाग का नाम
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद
7. धारित पद का वेतनमान सेवा निवृत्ति के समय
8. अनुभव
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एल पी सी संलग्न करें)
10. मूल पेंशन राशि (पी.पी.ओं. संलग्न करें)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र
12. स्थाई पता

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रदत्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देता हैं।

स्थान :
दिनांक

सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री जो सेवानिवृति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जात है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती रु. मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रहीं हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

दिनांक :

कमांक :

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं सील

